मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल

क्र. 11211 /22/वि–12/ग्रा.स.वि.प्रा./6–87/प्रशा./2018 भोपाल, दिनांक 24/05/2018

:: आदेश ::

By SPEED POST

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के माध्यम से आयोजित उपयंत्री की परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतीक्षा सूची के 25 संविदा उपयंत्रियों का दिनांक 15/05/2018 को मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं बायोमेट्रिक परीक्षण कराया गया। तदुपरांत उपयुक्त पाये गये निम्नलिखित संविदा उपयंत्रियों को उपयंत्री/उपयंत्री (लेब)/मानचित्रकार के पद के विरूद्ध इस आदेश में उल्लेखित संविदा शर्तो पर दो वर्षो के अनुबंध पर संविदा पर कार्य करने के लिए संयोजित किया जाता है। उक्त संविदा उपयंत्री (सिविल) दिनांक 04/06/2018 से 08/06/2018 तक **म.प्र. ग्रामीण सड़क अकादमी, वाल्मी परिसर, कलियासोत बॉध, कोलार रोड, भोपाल** में प्रशिक्षण के लिए उपस्थित होगें।

क्र.	संविदा उपयंत्री का नाम	क्र.	संविदा उपयंत्री का नाम
1.	सुश्री शीतल मुवेल	11.	सुश्री अपर्णा गुप्ता
2.	सुश्री वंदना मार्को	12.	सुश्री मेधावी निगम
3.	सुश्री कंचन बाला अतराम	13.	सुश्री भावना शर्मा
4.	श्री पवन डावर	14.	सुश्री सुरभी शर्मा
5.	श्री अमित वास्केल	15.	सुश्री पूजा पाण्डेय
6.	श्री इंद्र सिंह काकोड़िया	16.	सुश्री आकांक्षा सोहगौरा
7.	श्री संजय सिंह	17.	श्री प्रखर कोठारी
8.	श्री पदम सिंह किराड़	18.	श्री शिवांशु बाजपेयी
9.	श्री राकेश जाधव	19.	श्री हर्ष पाण्डेय
10.	सुश्री रिचा गौतम		

उपरोक्तानुसार संविदा उपयंत्रियों (सिविल) के पदस्थापना आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे। उक्तानुसार संविदा उपयंत्री (सिविल) प्रशिक्षण स्थल पर ही अनुबंध एवं रू. 50,000/– का बन्ध पत्र निष्पादित करेंगें। उक्त अनुबंध एवं बन्ध पत्र रू. 500/– के नॉन ज्यूडीशियल स्टॉम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा, अतः स्टाम्प पेपर प्रशिक्षण स्थल पर साथ लेकर आवें। संविदा उपयंत्रियों (सिविल) को प्रशिक्षण अवधि का संविदा पारिश्रमिक पदस्थापना स्थल की परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों द्वारा भुगतान किया जावेगा।

संविदा की शर्तें :–

1. संविदा नियुक्ति एक निश्चित समय के लिये, प्रशिक्षण की दिनांक से दो वर्ष के लिये होगी। संविदाकर्मी के कार्य मूल्यांकन के आधार पर, आवश्यकता होने पर सेवा अवधि में एक बार में अधिकतम दो वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। इसी प्रकार आवश्यकता एवं कार्य मूल्यांकन के आधार पर आगामी वर्षो में सेवा अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।
2. संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी को **संविदा उपयंत्री (सिविल)** के पद पर कार्यभार ग्रहण करते समय चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. संविदाकर्मी को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात न्यूनतम दो वर्षो तक सेवा करने हेतु बॉण्ड रू. 50,000/– का निष्पादित करना होगा।

4. संविदाकर्मी को एकमुश्त सकल मासिक मानदेय/पारिश्रमिक (Fix Pay) राशि रू. 30623/– (डिप्लोमाधारी उपयंत्री को) एवं राशि रू. 32753/– (डिग्रीधारी उपयंत्री को) देय होगा, यह मानदेय/पारिश्रमिक विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार परिवर्तनशील रहेगा।
5. संविदाकर्मी को एक निश्चित कार्य (Assignment) के लिये रखा जाता है।
6. संविदा पर नियुक्त संविदाकर्मी की संविदा अवधि पूर्ण होने पर नियुक्ति स्वमेव ही समाप्त हो जायेगी। संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी को किसी प्रकार की लिखित में कोई सूचना/पत्र नहीं दिया जायेगा।
7. संविदाकर्मी नियमितीकरण संबंधी कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।
8. संविदा पर नियुक्त संविदाकर्मी पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत कार्य करने की सूचना प्राप्त होती है तो उन्हें सम्यक जांचोपरांत दोषी पाये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा अर्थदण्ड/सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की जावेगी। प्राधिकरण को संविदा पर नियुक्त कर्मियों के आचरण/कार्य से वित्तीय हानि होने की स्थिति में वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी तथा आवश्यकता होने पर अपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जा सकेगा।
9. संविदा पर नियुक्त संविदा कर्मी की सेवाएं निर्धारित अवधि के पूर्व विभाग/नियोक्ता द्वारा एक माह का वेतन देते हुये बिना किसी नोटिस/सूचना के व कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।
10. यदि कोई संविदाकर्मी संविदा अवधि के दौरान संविदा नियुक्ति छोड़ना चाहता है, तो उसे विभाग/नियोक्ता को एक माह पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होगा अथवा एक माह का पारिश्रमिक/मानदेय विभाग में जमा कराना होगा।
11. संविदाकर्मी सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के बिना कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।
12. संविदाकर्मी का ई.पी.एफ. कटोत्रा ई.पी.एफ. फण्ड मिसलेनियस प्रोविजन्स एक्ट 1952 के प्रावधान के तहत किया जावेगा।
13. संविदाकर्मी को वर्ष में निम्नानुसार अवकाश की पात्रता होगी –
    अ. एक वर्ष में 13 दिवस का आकस्मिक अवकाश।
    ब. एक वर्ष में 15 दिवस का चिकित्सा अवकाश।
    स. एक वर्ष में 3 दिवस का ऐच्छिक अवकाश।
    द. महिला संविदा कर्मियों को 180 दिवस के प्रसूति अवकाश एवं पुरूष संविदा कर्मियों को 15 दिवस का पितृत्व अवकाश की पात्रता मानदेय/पारिश्रमिक सहित होगा। प्रसूति/पितृत्व अवकाश प्रथम 02 जीवित संतानों तक ही देय होगा।
14. प्रशिक्षण समाप्त होने के उपरांत 02 दिवस की अवधि में संविदाकर्मी को पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुपस्थित अवधि का वेतन देय नहीं होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होने पर संविदा नियुक्ति स्वमेव ही समाप्त हो जावेगी। सद्भाविक/उचित कारण की स्थिति में समय बढ़ाया जा सकेगा।
15. संविदाकर्मी का चरित्र सत्यापन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, के ज्ञाप क्रमांक एफ सी 3–15/2012/1/3, भोपाल दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये गये हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में संविदाकर्मी शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।
16. आरक्षित श्रेणी के संविदाकर्मी द्वारा जाति प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रत्याशा में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। यदि जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के उपरांत असत्य पाया जाता है तो उनकी नियुक्ति

तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी तथा उनको भुगतान किया गया मानदेय/पारिश्रमिक वसूली योग्य होगा। असत्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये संविदाकर्मी के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जावेगा।

17. संविदा कर्मी को उसकी प्रशिक्षण कार्यक्रम की तिथि से संविदा में माना जावेगा। यदि संविदाकर्मी बिना किसी सूचना/आवेदन के अपने कर्तव्य से लगातार 15 दिवस या इससे अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति उसकी अनुपस्थिति तिथि से स्वतः समाप्त हो जावेगी।
18. उच्चतर अध्ययन/विदेश यात्रा आदि के लिये प्रस्तुत आवेदन अनुबंध की शर्तो के अध्यधीन रहेंगे।
19. यह नियुक्ति/संयोजन पूर्णतः संविदा आधार पर है, अतः संविदा कर्मियों की परस्पर वरीयता के संबंध में कोई दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
20. संविदा समाप्ति या किसी प्रकार का कोई विवाद दोनों पक्षों के मध्य उत्पन्न होता है तो विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय एक मात्र आर्बीट्रेटर सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अथवा समय–समय पर जारी विभाग के आदेशानुसार होगा, जो दोनों
21. पक्षों को मान्य/बंधनकारी होगा तथा इस विवाद के निराकरण का क्षेत्राधिकार भोपाल होगा। किसी भी पक्ष को ऐसे विवाद के निराकरण के लिये न्यायालय बाधित रहेगा।

संलग्न :– अनुबंध एवं बन्ध पत्र का प्रारूप।

(उमाकांत पाण्डेय)
मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,भोपाल

पृ. क्र. 11212/22/वि–12/ग्रा.स.वि.प्रा./6–87/प्रशा./2018 भोपाल, दिनांक 24/05/2018

प्रतिलिपि :–

1. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी माननीय मंत्री जी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल। कृपया माननीय मंत्री जी को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. मुख्य महाप्रबंधक (संबंधित), मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल ।
4. मुख्य महाप्रबंधक (वित्त), मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल।
5. संचालक, म.प्र. ग्रामीण सड़क अकादमी, वाल्मी परिसर, कलियासोत बॉध, कोलार रोड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. महाप्रबंधक (संबंधित), मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, पीआईयू ..... की ओर सूचनार्थ। संबंधित उपयंत्री का संविदा पारिश्रमिक उपयंत्री/उपयंत्री (लेब)/मानचित्रकार के पद के विरूद्ध आहरित किया जावेगा।
7. संबंधित श्री/श्रीमती/कु. ..... की ओर पालनार्थ।
8. गार्ड फाईल।

मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,भोपाल